प्रेस विज्ञप्ति

जनपद-संतकबीरनगर

दिनांक 03.06.2025

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 10 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 05 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1498 द्वारा सड़क दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति को भेजवाया गया अस्पताल**–* पीआरवी 1498 को थाना बेलहरकला क्षेत्रांतर्गत पिपरा से कालर द्वारा बाईक खाई में गिर जाने के कारण दुर्घटना में घायल 01 व्यक्ति (1.निरहु पुत्र गणेश R/O जंगलबेलहर P/S बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया,सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त व्यक्ति को ईलाज हेतु 108 एम्बुलेंस की सहाय्रता से सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना बेलहरकला को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर तत्परता से पहुँचकर घायल को ईलाज हेतु सी0एच0सी0 मेहदावल भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी । ***पीआरवी स्टाफ- आ0 गुफरान अहमद, आ0 विवेक कुमार, हो0चा0 रोहिताष पाण्डेय।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 169 वाहनों से 1,75,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 03.06.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 169 वाहनों से 1,75,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दहेज मृत्यु कारित करने के मामलें में वांछित 02 अभियुक्तगणों को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद ***श्री अजय सिंह*** के पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री पंकज कुमार पाण्डेय*** के नेतृत्व में में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 4022/2025 धारा 124(1),85,80(2) बीएनएस 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम मे वांछित अभियुक्तगण नाम पता 01. रामसूरत पुत्र स्व0 घोलर 02. राकेश कुमार पुत्र रामसूरत निवासीगण गोरयाभार थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को नौरंगिया चौराहा के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा वादी सुबाष पुत्र जीवधरन निवासी कोल्हुलकड़ा थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर की पुत्री नीतू को दहेज के लिए काफी समय से प्रताड़ित कर रहे थे दहेज की मांग पूरी न करने पर अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा दिनांक 12.05.2025 को वादी की पुत्री की जलाकर हत्या कर दिया गया था जिस संबन्ध में वादी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। महिला संबन्धी अपराध घटित होने पर थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा गंभीरता से लेते हुए उक्त अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु टीमे लगायी गयी थी आज दिनांक 03.06.2025 को उक्त आरोपी अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया

गिरफ्तार करने वाली पुलिस बल का विवरणः- उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, हे0का0 रामभवन गुप्ता।

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में वाँछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

जनपद में *मिशन शक्ति अभियान* के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री अजय सिंह* के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा मु0अ0स0 452/2025 धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर के मामले में वांछित अभियुक्त नाम पता संदीप कुमार यादव पुत्र शिवदास यादव निवासी नगरा बौडिहार थाना मुण्डेरवा जनपद बस्ती को पंचमुखी हनुमान मन्दिर, छोटी सरौली के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादिनी द्वारा थाना कोतवाली खलीलाबाद पर वादिनी की पुत्री को उपरोक्त अभियुक्त द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन के आधार पर महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही करते हुए आज दिनांक 03.06.2025 को उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण – उ0नि0 श्री हरिकेश भारती, का0 अनूप कुमार शर्मा।

***"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तो को 03-03 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु, 25-25 हजार व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू से दण्डित किया गया ***

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे **"ऑपरेशन कनविक्शन"** अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री संदीप कुमार मीना*** के निर्देशन में गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 03.06.2025 को मा0 न्यायालय सी0जे0(एस0डी0)/एसीजेएम, संतकबीरनगर के द्वारा 02 अभियुक्तो को 03-03 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाये रखने हेतु, 25-25 हजार व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान राशि के 02-02 प्रतिभू निष्पादित करने का आदेश दिया गया।

विवरणः-

मु0अ0सं0 266ए/2001 धारा 323/504/325 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण 01- दयाराम पुत्र रामहरण, 02- राजाराम पुत्र रामहरण निवासीगण बरगदवा थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर द्वारा दिनांक 16.06.2001 को वादी श्री ब्रम्हानन्द यादव पुत्र विपत निवासी बरडाड थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर व उनकी पत्नी व बच्चों को खेत में ट्रैक्टर से जुताई को लेकर अभियुक्तगण उपरोक्त द्वारा मारपीट व गाली गलौज किया गया था जिसके उपरान्त दिनांक 17.06.2001 को थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत करते हुए मा0 न्यायालय द्वारा मुकदमा उपरोक्त में 03-03 माह के सदाचरण एवं परिवीक्षा बनाए रखने व 25-25 हजार रु0 के निजी बन्धपत्र तथा समान राशि के 02-02 प्रतिभू जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष 07 दिन के अन्दर निष्पादित करने का आदेश दिया गया।